भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2020

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

नमामि गंगे कार्यक्रम की स्थिति

2020. श्री तनुज पुनियाः

श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निगरानी किये गये उन क्षेत्रों के नाम और संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, जहां जीवाणु (फेकल कोलीफॉर्म) संदूषण का खतरनाक स्तर जारी है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सीवेज अवसंरचना घटकों की स्थिति का ब्यौरा क्या है, विशेषकर कितने सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की योजना बनाई गई है और कितने पूरी तरह कार्यात्मक हैं, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक स्वीकृत, जारी और उपयोग किए गए निधि का घटक, वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार लंबित सीवेज/ एसटीपी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करने, निधि के उपयोग में सुधार लाने और नदी-पुनर्जीवीकरण के परिणामों में तेज़ी लाने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, गंगा नदी के पाँच मुख्य धारा वाले राज्यों - उत्तराखंड-19; उत्तर प्रदेश-41; बिहार-33; झारखंड-04; और पश्चिम बंगाल-15 - के 112 स्थानों पर गंगा नदी की जल गुणवत्ता की मैनुअल निगरानी की जाती है। वर्ष 2025 (जनवरी से अगस्त) के लिए गंगा नदी के जल गुणवत्ता आँकड़ों (माध्य मान) के आधार पर, निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं।

प्रदूषित नदी खंड (पीआरएस) 2025 पर सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार गंगा मुख्य धारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है:

गंगा मुख्य धारा- राज्य-वार तुलना (2018 बनाम 2025)

राज्य	वर्ष 2018 में प्रदूषित खंड	प्राथमिकता (वर्ष 2018)	वर्ष 2025 में प्रदूषित खंड	प्राथमिकता (वर्ष 2025)	प्रचलन/अवलोकन
उत्तराखंड	हरिद्वार → सुल्तानपुर	IV	कोई पीआरएस नहीं	–	सुधार हुआ और पीआरएस खंड को हटा दिया गया
उत्तर प्रदेश	कन्नौज → वाराणसी	IV	बिजनौर → तरीघाट	IV / V	आंशिक रूप से सुधार हुआ
बिहार	बक्सर से भागलपुर	V	भागलपुर डी/एस → खलगाँव डी/एस	V	आंशिक प्रदूषण बकाया है
झारखंड	कोई पीआरएस नहीं	–	कोई पीआरएस नहीं	–	–
पश्चिम बंगाल	त्रिवेणी → डायमंड हार्बर	III	बहरामपुर → डायमंड हार्बर	V	सुधार हुआ

वर्ष 2025 (जनवरी से अगस्त) के लिए गंगा नदी के जल गुणवत्ता डेटा (माध्य मान) के आधार पर, निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं:

(i). पीएच और घुलित ऑक्सीजन (डीओ) नदी की स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण मानदंड हैं। गंगा नदी का पीएच और डीओ, गंगा नदी के सभी स्थानों पर स्नान के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करता है।

(ii). उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के संपूर्ण खंड में, निम्नलिखित स्थानों/खंडों को छोड़कर, गंगा नदी की जल गुणवत्ता जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) के संबंध में स्नान मानदंडों के अनुरूप है:

- फर्रुखाबाद से पुराना राजापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

- डलमऊ, रायबरेली, उत्तर प्रदेश

- उत्तर प्रदेश में डी/एस मिर्ज़ापुर से तारीघाट, ग़ाज़ीपुर (दो स्थानों को छोड़कर, नामत: यू/एस वाराणसी, संगम के बाद गोमती और यू/एस ग़ाज़ीपुर)।

(iii) उत्तराखंड और झारखंड में गंगा नदी के संपूर्ण खंड में, निम्नलिखित स्थानों/खंडों को छोड़कर, गंगा नदी की जल गुणवत्ता फेकल कोलीफॉर्म के संबंध में स्नान मापदंड के अनुरूप है:

- उत्तर प्रदेश में (i) यू/एस कन्नौज से पुराना राजापुर, कानपुर तक (नानामऊ ब्रिज, कानपुर को छोड़कर) (ii) डी/एस मिर्जापुर से तारीघाट, गाजीपुर तक (यू/एस वाराणसी को छोड़कर) खंड
- बिहार में एनआईटी गांधी घाट और यू/एस मुंगेर तक
- पश्चिम बंगाल में बेहरामपुर से गोराबाजार और शीतलाताल पलटा से पटीकाली तक (डायमंड बंदरगाह को छोड़कर)

(ख): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रदूषित नदी क्षेत्रों के उपचार हेतु 34,809 करोड़ रूपये की लागत से कुल 216 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी उपचार क्षमता 6,561 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) है। इनमें से 3,806 एमएलडी क्षमता वाली 138 एसटीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और संचालित की गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत और पूर्ण हो चुकी सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएमसीजी के अंतर्गत स्वीकृत और पूर्ण हो चुकी सीवरेज अवसंरचना परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य/अन्य	स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	
		स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की संख्या
1	उत्तराखंड	42	38
2	उत्तर प्रदेश	80	49
3	बिहार	39	21
4	झारखंड	5	2
5	पश्चिम बंगाल	33	16
6	हरियाणा	2	2
7	दिल्ली	10	9
8	हिमाचल प्रदेश	1	1
9	राजस्थान	1	0
10	मध्यप्रदेश	3	0
	उपयोग	**216**	**138**

(ग): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु एनएमसीजी द्वारा प्रारंभ से लेकर 30 नवंबर 2025 तक बजटीय प्रावधान (संशोधित अनुमान) और वितरित राशि का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन सहित विभिन्न एजेंसियों को वितरित राशि का संकलित राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है और घटक-वार संवितरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(घ): सीवेज/एसटीपी परियोजनाओं में तेजी लाने और निधि के उपयोग में सुधार लाने के लिए, माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा अधिकार प्राप्त कार्यबल (ईटीएफ) के माध्यम से, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) द्वारा केंद्रीय निगरानी समिति के माध्यम से, और महानिदेशक (एनएमसीजी) द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, नदी संरक्षण में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. **हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (एचएएम) के माध्यम से सतत संचालन एवं रखरखाव:** एचएएम ने कार्य निष्पादन-आधारित एन्युइटी भुगतानों के साथ दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव की शुरुआत की, जिससे निरंतर, उच्च-गुणवत्ता वाला संचालन सुनिश्चित हुआ।

ii. **केपीआई-आधारित भुगतान और डिजिटल निगरानी:** सतत ऑनलाइन बहि:स्राव निगरानी प्रणालियां (ओसीईएमएस) और एससीएडीए, बीओडी, सीओडी आदि जैसे प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतकों की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करते हैं।

iii. **सुदृढ़ अवरोधन एवं पथांतरण (आई एण्ड डी):** प्रमुख नालों को नदी में प्रवेश करने से पहले ही रोकने के लिए नई आई एण्ड डी संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इससे एसटीपी में जल-प्रवाह बढ़ा है और अनुपचारित जल-निकासी में कमी आई है।

iv. **आधुनिक उपचार प्रौद्योगिकियां:** नए एसटीपी, एसबीआर, एमबीबीआर और ए2ओ प्रक्रियाओं जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। उच्च उपचार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बहि:स्राव जल मानकों को बीओडी $\leq$ 10 मि. ग्रा ./ ली. तक सीमित कर दिया गया है।

v. **सेप्टेज और मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम)** सीवर रहित कस्बों के लिए, एफएसटीपी और एसटीपी में सह उपचार नालियों में प्रवेश करने वाले सेप्टेज से संबंधित प्रदूषण को दूर करते हैं।

vi. **तृतीय पक्ष मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन:** आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थान/एजेंसियां विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और यदि आवश्यक हो, तो निर्माण, कमीशनिंग और कार्य निष्पादन मापदंडों का स्वतंत्र सत्यापन प्रदान करती हैं।

vii. औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए, 3 सामान्य बहि:स्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) अर्थात् जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी), और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) स्वीकृत किए गए हैं। दो परियोजनाएं, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) पूरी हो चुकी हैं;

viii. **अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण:** जीपीआई का निरीक्षण वर्ष 2017 में शुरू हुआ। वर्ष 2025 में, निरीक्षण के 8वें दौर में 3,726 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की सूची बनाई गई। अब तक 3,726 जीपीआई में से 3,023 जीपीआई का टीपीए (8वें दौर) के माध्यम से निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 204 स्वतः-बंद पाए गए और 1,347 चालू थे। 1,347 चालू जीपीआई में से 966 नियमों का अनुपालन करते पाए गए और 381 गैर-अनुपालन वाले पाए गए। 381 गैर-अनुपालन वाले जीपीआई में से 379 जीपीआई को एससीएन जारी किया गया और 2 जीपीआई को बंद करने का निर्देश जारी किया गया।

ix. एनएमसीजी द्वारा, गंगा और यमुना नदी पर नदी जल की गुणवत्ता, सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) आदि का कार्य निष्पादन के निरंतर निगरानी के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड **"प्रयाग"** चालू किया गया है।

x. एनएमसीजी ने अक्टूबर 2018 में अधिसूचित न्यूनतम ई-फ्लो मानदंडों को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे गंगा नदी में निरंतर पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित होता है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा नियमित अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जा रही है।

xi. जैव विविधता संरक्षण: उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात जैव विविधता पार्क और 5 प्राथमिकता वाले आर्द्रभूमि नामत: उत्तर प्रदेश (3), एवं बिहार (1) और झारखंड (1) को मंजूरी दी गई है;

xii. एनएमसीजी ने राज्य वन विभाग के माध्यम से गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे एक वानिकी कार्यकलाप परियोजना लागू की है। लगभग 414 करोड़ रुपए की लागत से 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण किया गया है;

xiii. केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा कार्यान्वित विशेष परियोजना के तहत, वर्ष 2017 से गंगा में कुल 160 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंग्स का पालन किया गया है ताकि मतस्य जैव विविधता और नदी डॉल्फ़िन के लिए प्रे बेस का संरक्षण किया जा सके और गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित की जा सके;

xiv. भारतीय वन्य जीवन संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून और राज्य वन विभाग के सहयोग से डॉल्फ़िन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और घड़ियाल जैसी जलीय प्रजातियों के लिए विज्ञान-आधारित प्रजाति बहाली कार्यक्रम, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम द्वारा डॉल्फ़िन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और अन्य नदी प्रजातियों में वृद्धि हुई है एवं इन्हें पहले की अपेक्षा अधिक देखा जा सकता है, साथ ही जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है;

xv. "गंगा नॉलेज पोर्टल" राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा आंतरिक रूप से विकसित एक अग्रणी पहल है, जो जल संसाधन प्रबंधन पर व्यापक संसाधनों के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। यह मंच छात्रों, शोधार्थियों, हितधारकों और आम जनता तक पत्रिकाओं, प्रकाशनों, पुस्तकों, तकनीकी लेखों, शोध रिपोर्टों; डेटा सेट (जिला नदी मानचित्र,

एसटीपी प्रदर्शन और नदी एटलस) और कॉफी टेबल पुस्तकों सहित सामग्रियों (1,295 दस्तावेज़) की एक विशाल श्रृंखला को सुगम्य रूप से पहुँचाया है। गंगा नॉलेज पोर्टल का उद्देश्य जल संसाधन चुनौतियों की जटिलताओं पर ध्यान केंद्रित कर इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जागरूकता और सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देना है;

xvi. कुल 139 जिला गंगा समितियाँ (डीजीसी) गठित की गई हैं जो नियमित रूप से 4 एम (मासिक, अधिदेशित, कार्यवृत्त और निगरानी) बैठकें आयोजित करती हैं। अक्टूबर 2025 तक, 4,632 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं;

xvii. उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा टास्क फोर्स (जीटीएफ) का गठन एनएमसीजी को उसके निर्धारित कार्यों को पूरा करने में सहायता देने के लिए किया गया था, जैसे (क) मृदा अपरदन को रोकने के लिए वृक्षारोपण; (ख) जन जागरूकता/भागीदारी अभियानों का प्रबंधन; (ग) जैव विविधता संरक्षण के लिए संवेदनशील नदी क्षेत्रों में गश्त; (घ) घाटों पर गश्त, आदि;

xviii. गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के प्रयासों के लिए जनता के बीच जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना पैदा करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इनमें शामिल हैं - गंगा उत्सव, नदी उत्सव, नियमित सफाई अभियान और वृक्षरोपण अभियान, घाट पर योग, गंगा आरती आदि। इन प्रयासों को गंगा रक्षकों के समर्पित कार्यकर्ताओं, जैसे गंगा प्रहरी, गंगा विचार मंच, आदि का भी समर्थन प्राप्त है।

*****

अनुलग्नक-I

"नमामि गंगे कार्यक्रम की स्थिति" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 2020 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और एनएमसीजी द्वारा संवितरित राशि का वर्ष-वार विवरण [वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक (30 नवंबर तक)]

(करोड़ रुपये में)

नमामि गंगे	**वित्तीय वर्ष**	**बजटीय प्रावधान (संशोधित अनुमान)**	**एनएमसीजी द्वारा संवितरण**
चरण-I	2014-15	2,053.00	170.99
	2015-16	1,650.00	602.30
	2016-17	1,675.00	1,062.81
	2017-18	3,023.42	1,625.01
	2018-19	2,370.00	2,626.54
	2019-20	1,553.44	2,673.09
	2020-21	1,300.00	1,339.97
चरण-II	2021-22	1,900.00	1,892.70
	2022-23	2,500.00	2,258.98
	2023-24	2,400.00	2,396.10
	2024-25	3,000.00	2,589.11
	2025-26 (30 नवंबर 2025 तक)	3,400.00*	1,191.98

(*बजट अनुमान)

टिप्पणी :-

(i) एनएमसीजी के ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली में परिवर्तित होने से पहले, भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को जारी किए गए अनुदान अव्यपगत थे और पिछले वर्षों से अगले वर्ष में अग्रेषित किए गए अप्रयुक्त अनुदानों को बाद के वर्षों में संवितरित किया जाता था।

(ii) विभिन्न कार्यान्वयन/कार्यकारी एजेंसियों द्वारा 867.12 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त अनुदान राशि भारत की समेकित निधि में वापस कर दी गई है।

*****

अनुलग्नक-II

"नमामि गंगे कार्यक्रम की स्थिति" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 2020 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार वार्षिक संवितरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 30 नवंबर 2025 तक

संसद प्रश्न संख्या 7140 का अनुलग्नक, जिसका उत्तर 11 दिसंबर 2025 को दिया जाना है

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26*
		(करोड़ रुपये में)											
1	उत्तराखंड	4.26	37.04	44.03	242.49	328.94	122.28	124.82	150.75	108.97	143.86	76.20	130.25
2	उत्तर प्रदेश	74.58	153.35	585.15	550.12	823.77	876.68	472.46	588.14	705.21	796.26	1,225.05	582.94
3	बिहार	-	124.23	88.07	367.18	673.03	1,185.17	193.84	292.93	873.39	837.13	420.97	72.57
4	झारखंड	0.97	27.83	49.53	21.72	86.73	30.50	28.09	13.61	3.89	32.60	157.14	41.36
5	पश्चिम बंगाल	73.85	185.49	117.25	246.17	227.62	70.60	105.06	220.34	255.52	150.52	319.41	146.30
6	मध्य प्रदेश	-	3.39	6.50	-	-	-	-	-	-	9.50	38.45	20.00
7	दिल्ली	-	4.96	2.17	81.57	310.69	214.47	235.00	405.00	77.33	161.18	39.99	-
8	हरियाणा	-	30.00	52.73	6.88	-	-	-	-	-	-	-	-
9	राजस्थान	-	-	20.00	-	1.25	-	-	50.00	-	-	-	-
10	हिमाचल प्रदेश	-	-		-	-	-	1.25	2.50	-	-	-	-

(*30 नवंबर 2025)

नोट 1: उपरोक्त राज्य-वार संवितरण में (I) सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) और संबंधित अवसंरचना के लिए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, (ii) वनरोपण और जैव विविधता परियोजनाओं के लिए राज्य वन विभाग, (iii) हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर कार्यान्वित एसटीपी परियोजनाएं, (iv) आरएफडी/घाट परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यम, (v) गंगा ग्रामों में एसबीएम/ओडीएफ कार्यकलापों के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग और राज्य ग्रामीण स्वच्छता मिशन और (vi) औद्‌योगिक प्रदूषण उपशमन परियोजनाओं को जारी की गई धनराशि शामिल है।
नोट 2: एनएमसीजी द्‌वारा उपर्युक्त संवितरण/जारी की गई राशि में से, 867.12 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त अनुदान राशि विभिन्न कार्यान्वयन/कार्यकारी एजेंसियों द्‌वारा भारत की समेकित निधि में शामिल कर दी गई है।

अनुलग्नक-III

"नमामि गंगे कार्यक्रम की स्थिति" के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 2020 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वित्त वर्ष 2014-15 से 2025-26 तक 30 नवंबर 2025 तक एनएमसीजी द्वारा घटक-वार किए गए संवितरण/रिलीज़

घटक	**राशि (करोड़ रुपये में)**
सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं, जिनमें हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत कार्यान्वित परियोजनाएं भी शामिल हैं	15,235
औद्योगिक प्रदूषण निवारण	620
घाट, श्मशान और नदी तट विकास	940
पारिस्थितिक संरक्षण परियोजनाएँ	624
पारिस्थितिक कार्य बल	264
ग्रामीण स्वच्छता परियोजनाएँ	953
जल गुणवत्ता, औद्योगिक प्रदूषण और अपशिष्ट निगरानी को समर्थन	264
आउटरीच एवं संचार	509
अनुसंधान और ज्ञान विकास	301
एनएमसीजी और एसएमसीजी के प्रशासनिक व्यय, जिसमें संविदागत भुगतान आदि शामिल हैं।	720

*****